आदेश ब इन्द्रलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 99/2017 (रिप्यू प्रार्थना पत्र)

मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि. छठी मंजिल, अपेक्स मॉल, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि महावीर सिंह पंवार पुत्र श्री हजारी सिंह पंवार ।

बनाम

प्रार्थी

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ग्रडे फ्लोर मैट्रिक्स मॉल, नेशनल बैंक आफिस सेन्टर, लाल जैन मन्दिर के पास, जवाहर नगर सैक्टर–4 जयपुर जरिये असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर ।

अप्रार्थी बैंक

रिप्यू प्रार्थना पत्र विरुद्ध निर्णय दिनांक 01.09.2016 प्रकरण संख्या 163/2016 धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट व उनवानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बनाम किशोर कुमार ।

उपस्थित–

1. श्री रामचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. विभागीय प्रतिनिधि अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 01.11.2022

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 163/2016 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बनाम किशोर कुमार में पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय बैंक को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी बैंक ने तथ्य छिपा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि अप्रार्थी बैंक को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थी कम्पनी को आर्थिक हानि पहुंचाने की नियत से औन पौने दामों में अप्रार्थी बैंक ने उक्त प्लाट को नीलाम कर दिया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थी बैंक के द्वारा किशोर कुमार वर्मा द्वारा उठाये गये केश केडिट रूपये भी उक्त सम्पत्ति में

जिला कलक्टर
जयपुर

शामिल किये गये जबकि प्रार्थी कम्पनी को आज दिन तक विक्रय किये गये प्लाट की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण सर्व प्रथम उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी कम्पनी को विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय पारित करवा लिया जिसे रिव्यू किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः आदेश दिनांक 01.09.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

5- बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि स्वीकृत ऋण राशि एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अविवादित है। बैंक ने पूरी तरह विधिक प्रकिया का पालन करते हुये सरफेशी की कार्य की है कोई तथ्य नहीं छिपाया है। दिनांक 30.07.2015 को निष्पादित विक्रय पत्र के पंजीकृत होने के पचात उक्त सम्पत्ति पर रिव्युकर्ता किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । बैंक ने उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र पर विश्वास करते हुए ही ऋणी को दिनांक 15.07.2015 व 08.09.2016 को ऋण स्वीकृत किया गया है। रिव्यु कर्ता ने वसूली दावा बिना उचित कारण के काफी विलम्ब से पेश किया है। सरफेशी एक्ट में बैंक को प्राप्त विशेषाधिकार के तहत बैंक द्वारा धारा 13 (4) की कार्यवाही के पश्चात सम्पत्ति के मालिकाना हक को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों पर सुनवाई किये जाने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थी सरफेशी एक्ट की धारा 17 के तहत सक्षम न्यायाल में चाराजोही कर सकता है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. बैंक की ओर से द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 01.09.2016 को पारित किये जा चुके है। सरफेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो तथ्य रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है, उनको तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 01.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर